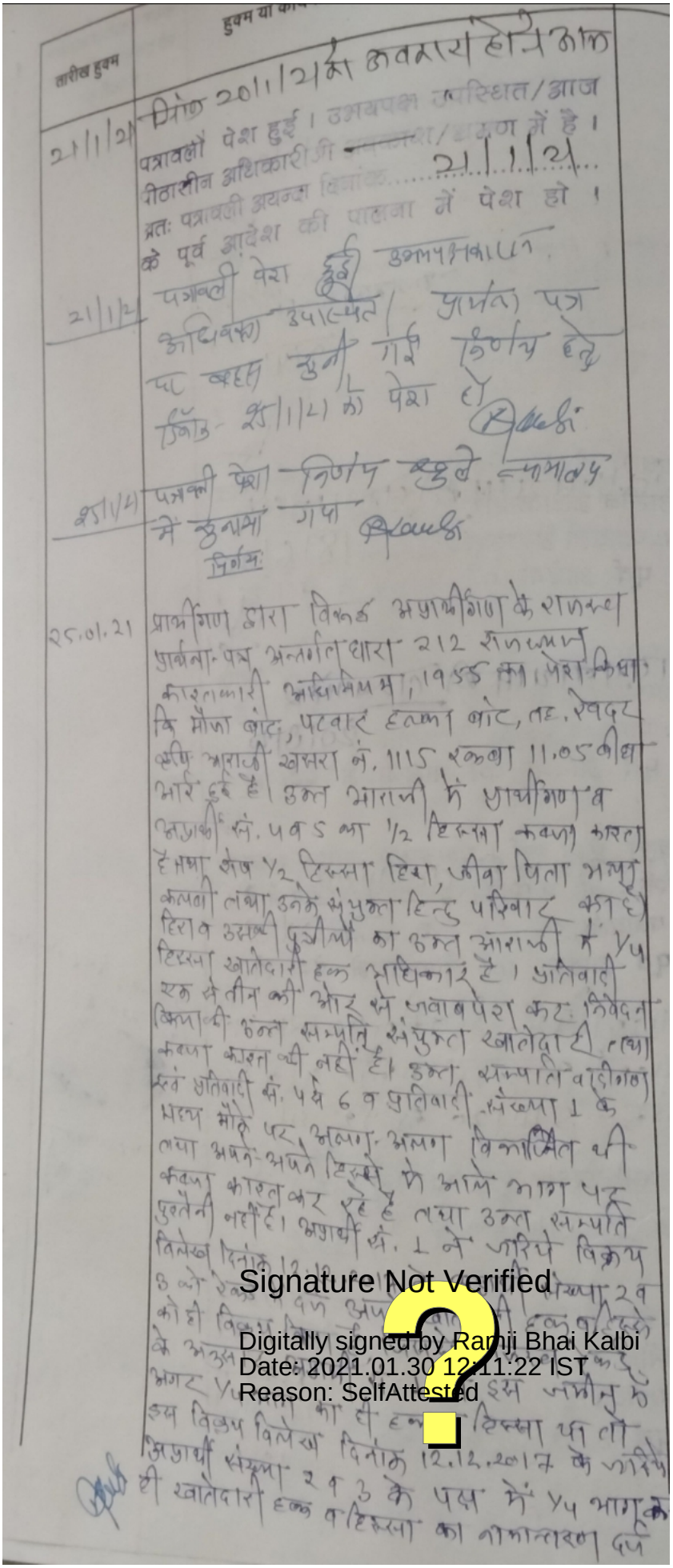

तारीख हुक्म	हुक्म या का…
	तारीख 20.1.21 को अवकाश होने से आज
21/1/21	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारी जी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्त्र दिनांक 21.1.21 को पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।
21/1/21	पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई निर्णय हेतु दिनांक 25/1/21 को पेश हो।
25/1/21	पत्रावली पेश निर्णय पृथक से खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	निर्णय
25.01.21	प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण के राजस्थान प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया कि मौजा बांट, पटवार हल्का बांट, तह. रेवदर कृषि आराजी खसरा नं. 1115 रकबा 11.05 बीघा आई हुई है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 व 5 का ½ हिस्सा कब्जा काश्त है तथा शेष ½ हिस्सा हिरा, जीवा पिता मफा कलबी तथा उनके संयुक्त हिन्दु परिवार का है। हिरा व उसकी पुत्रीयों का उक्त आराजी में ¼ हिस्सा खातेदारी हक अधिकार है। प्रतिवादी एक से तीन की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया की उक्त सम्पति संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की नहीं है। उक्त सम्पति वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके पर अलग-अलग विभाजित थी तथा अपने-अपने हिस्से में आये भाग पर कब्जा काश्त कर रहे है तथा उक्त सम्पति पुश्तैनी नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक [illegible] 3 को [illegible] संख्या 2 व को ही विक्रय [illegible] के अनुसार [illegible] अगर ¼ [illegible] इस जमीन के इस विक्रय विलेख का ही हक [illegible] हिस्सा था तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जरिये विक्रय विलेख दिनांक 12.12.2017 के जरिये ही खातेदारी हक व हिस्सा का नामान्तरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.30 12:11:22 IST
Reason: SelfAttested

किया जाएगा। जिससे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किसी तरह की कोई आपत्ती नहीं की वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है यदि राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का इस जमीन में अगर 1/4 भाग का ही खातेदार एक व हिस्सा था तो इस विरूध विलेख दिनांक 12.12.2017 के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में 1/4 भाग का ही खातेदारी एक व हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज किया जाए तो कोई आपत्ति नही है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 का दावा चल रहा है, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं प्रस्तुत दृष्टान्तों का अवलोकन किया एवं मनन किया। हमारे विनम्र मत है कि उक्त आवेदन में वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा देना विधि सम्मत नही होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.30 12:11:22 IST
Reason: SelfAttested

/01/30 10:54